प्रशान्त कुमार,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 47 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002

दिनांक: दिसम्बर 20, 2024

विषयः गोवंश के अवैध परिवहन तथा शराब की अवैध तस्करी में उपयोग किये जा रहे वाहनों के सम्बन्ध में धारा-5(A) उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा-72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम के **प्राविधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रिय महोदय/महोदया,

गोवंश के वध, दुधारू पशुओं एवं गोवंश के अवैध परिवहन (तस्करी) की घटनाओं को रोकने तथा शराब की अवैध तस्करी पर नियंत्रण करने हेतु इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में कई निर्देश प्रेषित किये गये हैं। गोवध के अवैध परिवहन में उपयोग किये जा रहे वाहनों तथा शराब की अवैध तस्करी में प्रयुक्त वाहनों की जब्ती का अधिकार क्रमशः उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम की धारा-5(A) तथा उ0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा-72 के अन्तर्गत जनपद के जिला मजिस्ट्रेट में निहित है।

2- मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि गोवंश के अवैध परिवहन तथा शराब की अवैध तस्करी में उपयोग किये जा रहे वाहनों के विरुद्ध जब्ती हेतु जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त को समयान्तर्गत रिपोर्ट न दिये जाने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा इन वाहनों को अपने स्तर से CrPC/BNSS में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्मुक्त किया जा रहा है। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। गोवंश तथा शराब के अवैध परिवहन में उपयोग किये जा रहे वाहनों के निर्मुक्त हो जाने से इस प्रकार के अपराधों का प्रभावी नियंत्रण बाधित होता है।

3- यह विधिक स्थिति से अविवादित है कि उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम की धारा-5(A) तथा उ0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा-72 के अन्तर्गत गोवंश तथा शराब की अवैध तस्करी में प्रयोग किये जा रहे वाहनों के सम्बन्ध में कार्यवाही का अधिकार सम्बन्धित अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त में निहित है।

4- विचारण न्यायालय के समक्ष वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन को अवमुक्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा विवेचक से आख्या आहूत की जाती है। विवेचकों द्वारा अपनी आख्या में अवैध परिवहन में प्रयोग किये जा रहे वाहनों के सम्बन्ध में कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रचलित होने का विशिष्ट रूप से उल्लेख न किये जाने के कारण विचारण न्यायालयों द्वारा थाने में निरुद्ध वाहनों को वाहन स्वामी के पक्ष निर्मुक्त कर दिया जाता है। इस विसंगत स्थिति के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है—

i. गोवंश अथवा शराब की अवैध तस्करी की घटना प्रकाश में आने के बाद अपराध में प्रयोग किये जा रहे वाहनों के सम्बन्ध में यथास्थिति उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम की धारा-5(A) अथवा

................2

उ0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा-72 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विवेचक द्वारा तत्काल रिपोर्ट सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

ii. यदि गोवंश अथवा शराब की अवैध तस्करी में प्रयोग किये जा रहे वाहन के स्वामी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाहन अवमुक्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो विवेचक द्वारा न्यायालय को प्रेषित किये जाने वाली अपनी आख्या में यह तथ्य विशिष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि सम्बन्धित वाहन की जब्ती हेतु जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त के समक्ष सुसंगत प्राविधानों में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर प्रचलित है।

iii. विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के वाहनों के अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का न्यायालय में उपस्थित लोक अभियोजकों से समन्वय स्थापित करते हुये प्रभावी विरोध किया जायेगा।

iv. गोवंश अथवा शराब के अवैध परिवहन के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों की जब्ती के सम्बन्ध में उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम की धारा-5(A) अथवा उ0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा-72 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित रहते यदि किसी विचारण न्यायालय द्वारा ऐसे वाहनों को अवमुक्त करने हेतु आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसे आदेशों के विरुद्ध सक्षम स्तर के उच्चतर न्यायालय में अपील / रिवीजन की कार्यवाही जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) / जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन से परामर्श प्राप्त करते हुये प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

v. जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस आयुक्त / परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक अपने जोन / कमिश्नरेट / परिक्षेत्र में ऐसे प्रकरणों की समीक्षा करेंगे, जिनमें विचारण न्यायालयों द्वारा गोवंश अथवा शराब के अवैध परिवहन के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों को निर्मुक्त किया गया है और ऐसे आदेशों के विरुद्ध ससमय अपील / रिवीजन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।

5- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीन कार्यरत विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को अवगत कराते हुये इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन / अपराध / यूपी-112/ एसटीएफ/अभिसूचना उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।